न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 1/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

दायरा दिनांक: 24.1.2024

अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

देवीलाल पुत्र गिरधारी जाति बागरी निवासी खलीलनगर तहसील सुनेल जिला झालावाड राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

1.राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0 ।

2.पैरोकार सरकार ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री भानूप्रताप सिंह अभिभाषक –अपीलार्थी

पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 9.5..2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 10/अपील/2022 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान देवीलाल बनाम राज0 सरकार जरिये नायब तह0 सुनेल मे पारित निर्णय दिनांक 2.8.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को निर्णय पारित कर ग्राम खलीलनगर की आराजी खसरा नं0 71 रकबा 1.3911 है0 किस्म बारानी दोयम पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 357/–रूपये शास्ति एंव 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड मे पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 2.8.2022 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.8.2022 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार सुनेल की पत्रावली को देखने का प्रयास नही किया ख0 नं0 71 अपीलांट की खातेदारी की आराजी है जो सक्षम न्यायालय के आदेश या निर्णय के बगैर सरकारी खाते मे दर्ज कर दी गई। पटवारी रिपोर्ट के बाद केम्प मगीसपुर पर दिनांक 17.11.2021 पेशी नियत कर दी गई और मनमाने तरीके से निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को विधिवत धारा 91 का नोटिस नही दिया गया। जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय मे मकान व बाउण्ड्री का निर्माण के अनुसार कब्जा माना है जबकि ग्राम पंचायत के मौका निरीक्षण मे जमीन पडत होना और मवेशी चरना बताया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपील खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। अपीलांट के पूर्व अभिभाषक ने जेरअपील निर्णय की जानकारी नही दी। तहसील सुनेल वालो ने दिनांक 22.8.2023 को अपीलांट को गिरफ्तारी वारंट की जानकारी देने पर जानकारी हुई अतः जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य पेश है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सुनेल का निर्णय दिनांक 17.11.2021 व जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दिनांक 2.8.2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई व साक्ष्य आदि हेतु नायब तहसीलदार सुनेल को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। परीक्षण/अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से केंम्प मे तारीख पेशी नियत कर अपीलांट की अनुपस्थिति मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी ने अपी0 की मौजूदगी मे पैमाईश नही की है। अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कोई सत्यापित दस्तावेज पत्रावली पर नही है। निर्णय निर्णय विधि नियमो एंव संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा बहस

मे आगे बताया कि पेनल्टी की राशि जमा करा दी है, तथा कब्जा छोडने का प्रमाण पत्र न्यायालय मे पेश कर देगा। अतः सजा माफ कर दी जावे। अंत में अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय अपास्त करने तथा प्रकरण नायब तहसीलदार सुनेल को रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपी0 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार सुनेल ने निर्णय दिनांक 17.11.2021 को ग्राम खलीलनगर तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं0 71 रकबा 1.3911 है0 किस्म बारानी दोयम पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 357/–रूपये शास्ति एंव 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड मे पेश की गई। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड ने नायब तहसीलदार सुनेल के निर्णय/आदेश मे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होना मानते हुये दिनांक 2.8.2022 को जेरअपील निर्णय पारित कर अपील को खारिज किया गया।

7 अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा पारित निर्णय 17.11.2021 अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक तरफा पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा नही है। कब्जा छोडने का प्रमाण पत्र न्यायालय मे पेश कर देगे। तथा तावान राशि जमा करादी है अतः सजा माफ कर दी जावे। अपीलांट्स के उक्त तर्क के परिपेक्ष्य मे, नायब तहसीलदार सुनेल की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को निर्णय/ओदश अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक तरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रकरण मे उनका यह भी कथन रहा है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया गया है इसलिये उनके साथ नरमी का रूख किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी नायब तहसीलदार सुनेल मे उपस्थित होकर एक शपथ पत्र इस बावत प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा वह भविष्य मे किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगे और अधिरोपित अर्थ दंड की राशि अदा कर देगें तो उन्हे सिविल कारावास के दंड से मुक्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दि0 2.8.2022 अपास्त किया जाता है। नायब तहसीलदार सुनेल के निर्णय दिनांक 17.11.2021 को आंशिक संशोधित किया जाकर अपीलांट को सिविल कारावास की 1 माह (30 दिन) की सजा से मुक्त किया जाता है। सिविल कारावास की सजा से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करदे कि उसने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड दिया है तथा वह भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा। इसके अतिरिक्त उस पर अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया गया हो। नायब तहसीलदार सुनेल यह सुनिशिचित करले कि विवादित भूमि से कब्जा अपीलार्थी ने हटा दिया हो तथा उसके द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया हो तभी सिविल कारावास के दण्ड से मुक्ति दी जा सकेगी अन्यथा नायब तहसीलदार सुनेल का निर्णय यथावत रहेगा।

8 निर्णय आज दिनांक 9.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा